बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि–पत्र

पटना–15, दिनांक : **14** मार्च, 2019

संख्या–1/सी0–1008/2018–(खण्ड–1)–सा0प्र0–3546/विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0 –1008 /2018–(खण्ड–1)–सा0प्र0–33 दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या–4930–4931/2016 और पुनर्विचार याचिका संख्या–001428–001429/2017 में पारित न्यायादेश एवं तदनुसार संबंधित पदाधिकारियों के बैचों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में निर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या–14014/04/2012–ए आई एस–1 दिनांक 01.03.2018 के आलोक में दिनांक 01.02.2010 से दिनांक 18.04. 2012 के बीच की रिक्तियों के विरुद्ध राज्य सेवाओं से भा0प्र0से0(बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नतियों को वैचारिक रुप से पुनरीक्षित किया गया है, अथवा पुनरीक्षित बैचों के अनुसार देय प्रोन्नतियाँ अनुमान्य की गयीं हैं।

2. उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1/सी0–1008/2018–(खण्ड–1)–सा0प्र0–33 दिनांक 02.01.2019 का क्रमांक–19 श्री सुधीर श्रीवास्तव,भा0प्र0से0(प्रथमतः आवंटित बैच, 1999/पुनरीक्षित बैच, 1998) से संबंधित है। उक्त क्रमांक के अंतिम स्तम्भ द्वारा श्री सुधीर श्रीवास्तव को 'श्री नर्मदेश्वर लाल(98) की सापेक्षता में **दिनांक 07.01.2013** से प्रोन्नति प्रदान किये जाने का संदर्भ अंकित हो गया है, जबकि, श्री नर्मदेश्वर लाल(98) को सचिव ग्रेड प्रोन्नति वस्तुतः दिनांक 01.01.2014 के प्रभाव से प्रदत्त है, जो आलोच्य अधिसूचना के क्रमांक–17–38 से स्वतः स्पष्ट है।

3. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या–33 दिनांक 02.01.2019 के क्रमांक–19 में अंकित विवरण –'श्री नर्मदेश्वर लाल(98) की सापेक्षता में दिनांक 07.01.2013 से प्रोन्नत' को 'श्री नर्मदेश्वर लाल(98) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2014 से प्रोन्नत' के रुप में पढ़ा जाए।

4. अधिसूचना संख्या–1/सी0–1008/2018–(खण्ड–1)–सा0प्र0–33 दिनांक 02.01.2019 की शेष स्थितियाँ यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
14.3.19
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1/सी0–1008/2018(खण्ड–1)–सा0प्र0–**3546** / पटना– 15, दिनांकः **14** मार्च,2019

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.3.19
सरकार के अवर सचिव।